डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)



कमांकः डीसीडीसी/2019/2566

0 जिप्रेल 2019

: अधिसूचना :

- 1. विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा परिनियम क. 28 के तहत प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कमी की पूर्ति नहीं की जा रही है। अतः संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय परिनियम कमांक 28(कॉलेज कोड) का पालन करते हुए यू.जी.सी. के मानदण्डों / केन्द्रीय परिषद आदि के नियमों के अनुसार प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्तियाँ किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 2. विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम क. 28(कॉलेज कोड) के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नानुसार होगी:—

प्राचार्य हे	तु:–	
1- 2- 3- 4-	Kulpati or his Nominee One nominee of the Management Director, College Development Council, Vishwavidyalaya Minority Community Expert (nominated by the Kulpati)	Chairman Member Member Member

शिक्षकों हेतु:-

7 60.—		
Kulpati or his Nominee		
One Nominee of the Management 6	Chairman	
its members, who are not teachers	Member	
One Expert in the subject concerned	M. I	
nominated by the Kulpati	Member	
Principal of the Institution		
Minority Community Expert	Member/Secretary	
(nominated by the Kulpati)	Member	
	Kulpati or his Nominee One Nominee of the Management from amongst its members, who are not teachers One Expert in the subject concerned nominated by the Kulpati. Principal of the Institution. Minority Community Expert	

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- 1. प्राचार्य, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 2. अध्यक्ष, शासी निकाय, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
- प्रभारी, वेबसाइट विश्वविद्यालय
 विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित
 - 4. कुलपति जी के निजी सचिव— कुलपति महोदय के सूचनार्थ
 - 5. कुलसचिव जी के निजी सहायक
 - 6. कार्यालयीन नस्ती

कुलसचिव